

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक प.10(21)वित्त/राजस्व/2015 लूज-II

जयपुर, दिनांक

26 MAY 2017

निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-डिजिटलाईज पेंशन कुलक लागू करने हेतु अनुमोदन के संबंध में।
सन्दर्भ:-आपका पत्र क्रमांक प.5(224)निपेवि/नियम/2016/पार्ट/350-एच
दिनांक 09.03.2017 P 299/15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि विभाग को दिनांक 01.04.2017 से डिजिटलाईजेशन पेंशन कुलक फॉरमेट का IHRMS के अन्तर्गत इस्तेमाल करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि विभाग 6 माह तक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उक्त फॉरमेट में जहां-जहां आवश्यकता हो, मोडिफिकेशन कर 6 माह पश्चात् अंतिम तौर पर उक्त ऑनलाईन पेंशन कुलक व्यवस्था पूर्णरूपेण सुस्थापित हो जाने पर पेंशन नियमों में जहां-जहां भी परिवर्तन, संशोधन की आवश्यकता हो, वहां-वहां के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमों में ऑनलाईन पेंशन कुलक एवं ऑनलाईन पेंशन अधिकृति संबंधी सभी संशोधन हेतु समुचित औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

भवदीय,

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

2181